

आदेश

मुख्य सचिव महोदय के पत्रांक एफ-17(1)/1/भामाशाह/डीईएस/ 2014 दिनांक 11-7-2016 के द्वारा प्रत्येक पंचायत समिति मुख्यालयों पर भामाशाह सर्विस डिलिवरी व्यवस्था के प्रदर्शन एवं भामाशाह प्लेटफार्म से जुड़ी विभागीय योजनाओं से संबंधित समस्याओं/शंका समाधान हेतु दो दिवसीय शिविरों का आयोजन दिनांक 25 जुलाई से 5 अगस्त तक किये जाने के निर्देश प्रदान किये गए हैं।

इन समस्या समाधान शिविरों में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना से संबंधित गतिविधियों के लिये निम्नानुसार सहभागिता किया जाना प्रस्तावित है:-

1. शिविरों में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का एक काउन्टर लगाकर योजना का प्रचार प्रसार एवं योजना के अन्तर्गत हुए बदलावों के सम्बन्ध में आईईसी सामग्री का वितरण।
2. दिनांक 13.07.2016 से भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के अन्तर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के अन्तर्गत आने वाले लाभार्थी परिवारों की पहचान राशन कार्ड के माध्यम से किया जाना बंद कर दी गयी है। लाभार्थी परिवार की पहचान सिर्फ **भामाशाह कार्ड के माध्यम** से ही किये जाने का प्रावधान कर दिया गया है। अतः इन शिविरों में निम्नानुसार प्रचार प्रसार किया जायेगा:-
 - a. **जिन परिवारों की मुखिया का भामाशाह कार्ड उपलब्ध है।**
 - लाभार्थी परिवार की पहचान परिवार के मुखिया के भामाशाह कार्ड के माध्यम से ही की जानी है तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार आने पर लाभ दिया जा सकेगा।
 - b. **जिन परिवारों ने भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन कर दिया है, परन्तु भामाशाह कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है।**
 - ऐसे परिवारों को भामाशाह कार्ड के आवेदन के समय एक **Acknowledgement Slip** दी जाती है, ऐसे पात्र परिवारों के लिये साफ्टवेयर में **Bhamashah Eid** विकल्प का प्रावधान किया जा चुका है। **Acknowledgement Slip** पर अंकित **EID** नम्बर डालने पर भी परिवार की पहचान की जानी चाहिए तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार आने पर लाभ दिया जा सकेगा।
 - इसी प्रकार यदि लाभार्थी परिवार ने अपने किसी सदस्य का नाम भामाशाह कार्ड में जुड़वाने के लिए आवेदन किया है, परन्तु नया भामाशाह कार्ड अभी प्राप्त नहीं हुआ है ऐसी दशा में भी प्राप्त **Acknowledgement Slip** पर अंकित **EID** नम्बर डालकर परिवार की पहचान की जायेगी तथा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (NFSA) के पात्र परिवार आने पर लाभ दिया जा सकेगा।
 - c. **जिन परिवारों ने अपनी परिवार मुखिया का भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया है**
 - जिन लाभार्थी परिवारों ने अपनी परिवार की मुखिया का भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन ही नहीं किया है, उन्हें योजना के अन्तर्गत तब तक लाभ नहीं दिया जा सकता है जब तक की वो भामाशाह कार्ड के लिए आवेदन नहीं कर दें। इसके लिए उन्हें तुरंत भामाशाह कार्ड बनवाये जाने की सलाह दी जानी चाहिए। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपना भामाशाह कार्ड बनवा सकते हैं।
 - जिन लाभार्थी परिवारों ने अपना भामाशाह कार्ड बनवा लिया है परन्तु वो भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना के साफ्टवेयर में NFSA परिवार नहीं दिख रहा है उन्हें सलाह दी जानी चाहिए कि



राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी
स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग सी-स्कीम, जयपुर

अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपने राशन कार्ड की सख्या भामाशाह कार्ड में जुडवा सकते हैं।

d. यदि परिवार की मुखिया के भामाशाह कार्ड में परिवार के किसी सदस्य का नाम नहीं जुडे होने पर

- परिवार में लडके की शादी होने के पश्चात नवीन वधु आने पर उसका नाम भामाशाह कार्ड में तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपना नाम जुडवा सकते हैं। भामाशाह कार्ड में नाम होने पर ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।
- यदि परिवार के किसी भी सदस्य का नाम भामाशाह कार्ड में जुडने से रह गया है तो उसका नाम भी तत्काल जुडवाया जाये। इसके लिए वो अपने नजदीकी ई-मित्र केन्द्र अथवा अटल सेवा केन्द्र पर जाकर अपना नाम जुडवा सकते हैं। भामाशाह कार्ड में नाम होने पर ही भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ प्राप्त हो सकेगा।

(नवीन जैन)

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी

क्रमांक: एफ 1008 (21)/एनएचएम/स्वास्थ्य बीमा योजना/2015-16/532 दिनांक : 21/07/2016
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन सचिव, माननीया मुख्य मंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सचिव, चिकित्सा एवं स्वा. मंत्री राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं प.क. विभाग, राजस्थान।
4. अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, जयपुर।
5. शासन सचिव, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, जयपुर।
6. शासन सचिव, आयोजना विभाग।
7. समस्त संभागीय आयुक्त।
8. समस्त जिला कलेक्टर।
9. संभाग सयुक्त निदेशक, (समस्त संभाग)
10. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी (समस्त)
11. समस्त अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला नोडल अधिकारी (प.क)
12. जिला आईईसी समन्वयक को भेजकर लेख है कि उक्त शिविरो में योजना से संबंधित सभी नये महत्वपूर्ण बदलाव और जानकारी को फ्लेक्स और पेम्पलेट्स के माध्यम से प्रचार प्रसार करवाना सुनिश्चित करें।
13. नोडल अधिकारी (निजी अस्पताल समस्त)
14. प्रभारी, सर्वर रूम को संबंधित को ई-मेल कराने हेतु एवं वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
15. रक्षित पत्रावली।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राजस्थान स्टेट हैल्थ एश्योरेन्स एजेन्सी